सं० 4 व 5 प्रकरण में formal Parties है प्रतिवादी सं० 4 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रतिवादी सं० 5 का हित स्वत्व राजीनामा मुताबिक दर्ज करने के आदेश फरमाये जाकर बमुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावे बाबत आदेश पत्रावली दिनांक 17/01/2022 को पेश हो।

17/01/2022

आज पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाए उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाए उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। वरवक्त बहस वकुलाए उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाए उभय पक्ष पर सगौर मनन किया गया।

वादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 से 3 को एक ही कुटुम्ब के सदस्य अभिकथित करते हुए वादी द्वारा स्वयं

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

(मुनेश कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

को रघोबक्स का दत्तक पुत्र बताते हुए तन ग्राम धोराकी तहसील खोद जिला सीकर (राज०) स्थित कृषि भूमि ख० नं० 216, 217 से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर उक्त ख० नं० 216, 217 की सम्पूर्ण खातेदारी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने तथा कृषि भूमि ख०नं० 222, 223, 224, 225, 229, 220, 221, 227 से वादी का नाम हजफ कर उक्त वर्णित ख०नं०बरान की खातेदारी प्रतिवादी नं० 1 ता 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत हस्तगत वादपत्र पेश किया है, जिसमे वादी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि वादी के दत्तक पिता रघोबक्स की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण मात्र वादी के नाम दर्ज होना था जबकि उक्त नामान्तरकरण वादी के साथ-साथ प्रतिवादी नं० 1 व 2 के नाम भी बिना किसी आधार के भर गया तथा प्रतिवादी नं० 1 व 2 के पिता परतु की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी सं० 1 व 2 के साथ-साथ वादी के नाम भी भर दिया गया जबकि वादी रघोबक्स का दत्तक पुत्र होने से केवल रघोबक्स की भूमि का ही हक अधिकारी है।

दूसरी ओर वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा में विवादित कृषि भूमि ख० नं० 216, 220, 221, 227, 403 में से मृतक रूपी पत्नी परतुराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा को वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 2 के बराबर-बराबर दर्ज करने पर सहमति प्रकट की गई है जबकि उक्त मृतक रूपी वादी की प्राकृतिक माता है एवं वादी स्वयं को रघोबक्स का दत्तक पुत्र वादपत्र में अभिकथित करते आ रहा है। विवादित पक्षकारान द्वारा कृषि भूमि ख० नं० 217, 222, 223, 224, 225, 229 में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज पिता रघोबक्स के

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

(मुनेश कुमारी ...)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

स्थान पर पिता का नाम परसुराम कर-वाना चाहते हैं। इस प्रकार मूल वादपत्र एवं राजीनामा की इबारत एवं चाहा गया अनुतोष परस्पर विरोधी हैं।

वादी के अभिकथनानुसार रघोबकशा एवं परसु के विरासत का नामान्तरकरण गलत भरा गया है जिस बाबत वादी उक्त नामान्तरकरणो के विरुद्ध संबंधित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर चाराजोई करने बाबत स्वतंत्र है। हस्तगत वादपत्र में वादपत्र के अभिकथनों एवं प्रस्तुत राजीनामा में परस्पर विरोधाभास पाया जाने पर दावा स्वीकार (मुताबिक राजीनामा) किये जाने योग्य नहीं पाया जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 17/01/2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/01/22

(मुकेश कुमारी)
RAS
सहायक कलक्टर
द्वितीय (सीकर)